न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 118/2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 अनिल कुमार पुत्र अशोक कुमार ।
2 सुनिल कुमार पुत्र अशोक कुमार।
3 सपना पत्नी श्री रोबिन, गुर्जर।
4 सरला देवी पत्नी अशोक समस्त जाति गुर्जर निवासी मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 सावित्री देवी पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी नेहरों की तन मोहनबाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

2 भंवरी देवी पत्नी शीशराम जाति जाट निवासी टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016
द्वारा उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुंझुनू
उनवानी मुकदमा सावित्री देवी बनाम तहसीलदार
दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई
निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 107/2013

उपस्थित

1. श्री उम्मेदराज अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाष पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांकः—24.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा वाद संख्या 107/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में तहसीलदार नवलगढ़ के विरूद्व दावा घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम नवलगढ़ प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय में दावा, घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का था न कि नामान्तकरण खुलवाने का था जमाबन्दी जितने सहखातेदार है उनको सभी को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। 2006 में विक्रय पत्र करवाया लेकिन दावा 2013 में किया है। विभाजन का वाद विचारण न्यायालय में लम्बित है विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही था अत निर्णय की जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किये है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट के विरूद्व हमने कोई अनुतोष नही चाहा विचारण न्यायालय ने रजिस्टर्डड विक्रय पत्र के आधार पर वाद डिक्री किया है। अपीलांट के विरूद्व कोई आदेश पारित नही किया है अपीलांट ने रजिस्ट्री को चुनौति नही दी है। अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1776 में रकबा 0.25 हैक्टेयर का खातेदार रजिस्टर्डड विक्रय पत्र दिनांक 06.09.2006 के आधार पर वादी सावित्री देवी पत्नी श्रीराम जाट को घोषित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1776 रकबा 1.39 हैक्टेयर में हिस्सा 0.89 हैक्टेयर दामोदर प्रसाद पुत्र सुन्दरमल की खातेदारी में दर्ज है वादी ने इसी दामोदर प्रसाद से जरिये विक्रय पत्र 0.25 हैक्टेयर भूमि क्रय की है इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इस निर्णय से अपीलांट के हक अधिकार किस प्रकार प्रभावित होते है यह साबित करने में अपीलांट असफल रहा है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/X/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर